- (iii) Consideration and return of the Appropriation Bill relating to Demands for Grants (General) for 2007-08, after it has been passed by Lok Sabha.
- (iv) Consideration and return of the Finance Bill, 2007, after it has been passed by Lok Sabha.

GOVERNMENT BILL

The National Rural Employment Guarantee (Extension To Jammu And Kashmir) Bill, 2007.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, there is very serious situation in Gujarat....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rashtrapal, no, no. ...(Interruptions)... You have given your notice ...(Interruptions)... It will be taken up on Thursday. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... No, it will be taken up on Thursday. ...(Interruptions)... All the Zero Hour Mentions will be taken up on Thursday. ...(Interruptions)...

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): आप यह क्या बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...निथारी पर बात करो।...(व्यवधान)... गिलानी की बात करो।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए । Please sit down. ...(Interruptions)... Now we are taking up the National Rural Employment Guarantee (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 2007. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)...

आप बैठिए, आप बैठिए, ...(व्यवधान)...

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।''

श्री अली अनवर (बिहार): सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापित: नहीं, हम उसे जुमेरात को लेंगे ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैटिए ...(व्यवधान)... It is nothing related. ...(Interruptions)...

आप बैठिए, अपनी सीट पर। ...(व्यवधान)... नहीं, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आपने नोटिस दी है, उस पर डिसीजन ...(व्यवधान)... आप बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I gave a notice for OBC ...(Interruptions)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Sir, the OBC issue...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has been decided that there will be no Zero Hour today. All Zero Hour notices will be considered on Thursday. Please sit down. Please sit down. ...(Interruptions)... आप बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI K. KESHAVA RAO: Sir, we beg you. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please cooperate. I have said that there will be no Zero hour today. It will be taken up on Thursday. हम उसे Thursday को लेंगे। आप बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI K. KESHAVA RAO: The question is simple. The voice of this House has been challenged by ...(Interruptions)...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) सर, यह ओ॰बी॰सी॰ का मामला है ...(व्यवधान)... यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already taken up the Bill. Please sit down. Mr. Hanumantha Rao, please sit down. केशव राव जी, आप बैडिए ...(व्यवधान)... दर्ज जी, आप भी बैडिए!...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय. नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट 7.09.2005 को पारित हुआ था। लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष तथा विपक्ष, सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका समर्थन किया था लेकिन उसमें जो कानूनी प्रावधान धारा 370 का है, उसके अधीन उसको जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर किया गया था। हमने होम मिनिस्ट्री से और उसके बाद लॉ विभाग से राय की, जम्मू कश्मीर राज्य को कहा कि अपनी असेम्बली में इसे पास करा लिया जाए, लेकिन उन्होंने हम से ही, केन्द्र सरकार से ही आग्रह किया कि इसे पार्लियामेंट से ही पारित करा दिया जाए। महोदय, यह लोक सभा से पारित हो चुका है और राज्य सभा से, सबसे उच्च सदन से, इस सबसे बढ़िया विधेयक को पारित होना हैं। यही हमारी अर्जी है, महोदय। हालांकि

जिस समय देश के लिए कानून बना, तो जम्मू कश्मीर के भी जिलों में इसको लागू किया गया, लेकिन उसको कानूनी समर्थन नहीं था, इसीलिए इस महान सदन में उसका पारित होना आवश्यक है।

महोदय, रोजगार गारंटी कानून देश भर में गरीबों के लिए बड़ा ही उत्साहजनक है। यह गरीबी घटाने वाली और देश का कायाकल्प करने वाली एक योजना है। इस योजना से 200 जिलों में, मतलब देश के एक-तिहाई जिलों में, अभी तक लगभग दो करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। सभी राज्यों को हमने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। महोदय, जो रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चलता है कि पलायन रुक गया है। जिन-जिन जिलों में इसे लागू किया गया है, तो रोटी की खोज में, काम की खोज में गांवों से जो मजदूर शहरों की ओर पलायन करते थे, शहरों पर दबाव बढ़ रहा था, उससे...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए मंत्री जी को बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रघवंश प्रसाद सिंह: इसलिए यह बड़ा ही उत्साहजनक है। महोदय, एक तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। 8 हजार करोड़ रुपये गरीबों की जेब में गये ... (व्यवधान)... प्रति दिन करीब 70-75 करोड़ रुपए गरीबों की जेब में जा रहे हैं। इस तरह एक तो इससे मजदरी मिली, गरीब आदमी को गांव में ही रह कर साल में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उन्हें मिला है, वह उन्हें मिल रहा है। महोदय, दूसरे नम्बर में इस बिल को पारित करने का जो हमारा उद्देश्य था कि विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि देश में आने वाला समय पानी को लेकर भयावह होगा, पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। तो वाटर कंजरवेशन, वाटर सेफ मेनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के अलावा हमारे सामने, हमारे इतने बड़े देश के सामने और कोई उपाय नहीं है और इसलिए सात लाख योजनाओं में आधे से अधिक, पचास फीसदी से अधिक ध्यान इधर है ताकि वाटर कंजरवेशन हो और वर्षा के जल की बूंद-बूंद को संग्रह किया जाए। जो वाटर बॉडीज हमारी पहले डिफंक्ट हो गई थी, उनके रेनोवेशन, नए बनाने का काम, चेक डैम, स्टॉक डेम, इन सभी का राज्य-सरकारों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। हम इस संबंध में इस सदन के सामने डिटेल लाना चाहते हैं, जिससे सदन अवगत हो कि हमारे यहां पैसे का सही उपयोग हो रहा है। जिस समय पहले विधेयक पारित हो रहा था, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने यहां पर आशंका व्यक्त की थी और किसी ने कहा था कि नाली में पैसा चला जाएगा। आज मैं यह बात कहना चाहता हूं और सदन के सामने सच्चाई का प्रदर्शन करना चाहता हूं कि आज देश के 6 लाख गांवों में से तिहाई, करीब 2 लाख गांवों में सात लाख योजनाएं चल रही हैं और उससे लोगों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है, वाटर कंजरवेशन का काम भी हो रहा है। इससे कहीं-कहीं गांवों में ग्राउंड वाटर के लेवल में बढ़ोतरी हुई है, जो पहले पानी दो-तीन मीटर नीचे चला गया था, अब वहां पानी ऊपर आ रहा है। इसलिए सब मिलजुल कर कह सकते हैं कि रोजगार गारंटी कानून देश के लिए एक कायाकल्प करने वाली योजना है और यह गरीबों को रोजगार, रोटी देने वाली योजना है। जम्म-कश्मीर में यह योजना कुछ कानूनी रूप में नहीं, ऐसे ही

Anabac

लागू थी। महोदय, वहां इसे लागू किया गया था, लेकिन कानूनी रूप में मान्यता के लिए, चूंकि इस देश के सभी राज्यों में यह कानूनी रूप में लागू है, केवल जम्मू-कश्मीर में नहीं थी, इसलिए माननीय लोक सभा के सदन ने इसे पारित किया है, अब माननीय इस सदन से भी पारित होना है।

श्री उपसभापति: यहां भी पारित होगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इसको इस माननीय सदन से पारित किया जाए, जिससे गरीबी हटाने और देश की कायाकल्प करने में हम सब लोग सफल हो सकें। इन्ही शब्दों के साथ मैं पुन: प्रार्थना करता हूं कि इसे पारित करा दिया जाए।

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, I have a small clarification, क्योंकि मंत्री महोदय ने अपना प्रस्ताव रखते वक्त एक बात कही कि सदन से साधारणतया जो बिल पास किए जाते हैं, उसमें जम्मू-कश्मीर का उल्लेख नहीं रहता, लेकिन राज्य सरकार ने, जैसा मैंने सुना, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है कि आप इसको पार्लियामेंट से पास कराकर भेज दीजिए। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा उन्होंने कहा? नॉर्मली होता यह है कि जब हम लोग बिल पास करते हैं, सिमिलर बिल जिसको वे जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं उस सिमिलर बिल को वे अपनी विधान सभा में, लेजिस्लेटिव कौंसिल में पास करते हैं। तो क्या जम्मू-कश्मीर सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि यह विधेयक वे अपने विधान मंडल में या विधान सभा में पास नहीं करा सकेंगे और इसलिए वे यहां से पास कराना चाह रहे हैं? या और क्या कारण हैं? इस बारे में जरा विस्तार से मंत्री जो बता देंगे, तो कृपा होगी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह बात आप जानते हैं, अहलुवालिया जी, संविधान के जानकार हैं।...(व्यवधान)... अभी जो सवाल उठाया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जो बिल पारित हुआ था, संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से जो सबसे ऊपर वाला क्लॉज था, उसमें लिखा था कि यह देश भर में लागू रहेगा, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर के।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: यह तो सभी कानूनों में लिखा होता है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आप सुन तो लीजिए। उसके बाद फिर हमने जम्मू-कश्मीर सरकार को कहा कि इसको पारित करा लिया जाए, the State of Jammu and Kashmir, vide their letter, dated 12-07-2006, had requested that the Government of India should extend the NIG Act, 2005 to the State of Jammu and Kashmir. The present Bill has accordingly been introduced. हमने राज्य सरकार को कहा। उन्होंने विचारोपरांत

यह निर्णय लिया कि इसे हमें पार्लियामेंट से ही पारित करा दिया जा, जो प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत इसको यहां लाया गया है और इसे पारित कराने के लिए हमारी प्रार्थना है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: यह एक संवैधानिक सवाल है। धारा 370 के तहत हम जितने विधेयक पास करते हैं, चूंकि बहुत से लोग तो भूल गए होंगे कि भारत में दो संविधान चलते हैं, एक संविधान जम्मू-कश्मीर का है और एक भारतीय संविधान है और इसी कारण उनका वहां पर अलग से बिल पास होता है। हमारे यहां प्रत्येक ऐक्ट, जो हम पास करते हैं। उसमें लिखा जाता है, It will be applicable to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir और वह जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में पास होता है, But in this case, why have they, specifically, said this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They have already introduced the Bill. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: No; no. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: According to the hon. Minister, they have already introduced it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why in this case they want our prior approval? ...(Interruptions)...Why?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह इसलिए है कि बिना कानून पारित किए ही इस प्रावधान को हमने वहां पर लागू कर दिया था, उन्हें पैसे दे दिए गए हैं, खर्च भी हो रहा है, लेकिन इस स्कीम के बतौर कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं था। इसीलिए जम्मू-कश्मीर राज्य ने यह निर्णय लिया कि चूंकि हमारे यहां पर यह लागू है और जैसे देश भर के अन्य राज्यों के लिए यह पारित हुआ है, जम्मू-कश्मीर के लिए भी पालियामेंट से ही इसे पारित किया जाए, इसीलिए यह विशेष है।

श्री अरुण शौरी (उत्तर प्रदेश) इसका मतलब यह है कि बिना बिल के और बिना आंथोराइजेशन के ही उन्हें पैसे दे दिए गए ...(स्थवधान)... यह कैसे हो सकता है?

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो इस बिल के पास होने से पहले जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार लोगों के लिए इस तरह की कोई योजना थी, जिसे आपने इस योजना में परिवर्तित कर दिया, उसे चेंज कर दिया गया, सिर्फ उसका nomenclature बदल दिया। अगर यह हुआ है तो ठीक है, वह मान्य है, लेकिन अगर बिना विधेयक पास किए गए वहां पर पैसा दिया गया, तो वह गलत दिया गया है।

श्री रचुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, Wage for Employment Programme देश में आज से नहीं तीस वर्षों से लागू है, नाम विभिन्न हो सकते हैं। SGYs और Food-for-Work Scheme बिना ऐक्ट बनाए हुए, स्कीम के रूप में लागू थे, लेकिन जब हमने ऐक्ट बनाया, चूंकि देश भर में रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ, जम्मू-कश्मीर राज्य में जो जिले Food-for-Work Scheme के लिए चुने गए, वहां भी हमने इसे लागू किया, लेकिन टेक्निकली उसका कानूनी आधार नहीं था, इसलिए ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए ...(व्यवधान)... देश भर में यह ऐक्ट के रूप में, कानून के रूप में लागू हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह स्कीम के रूप में लागू हुआ। अब वहां इस स्कीम की कानूनी इनैक्टमेंट करके, कानूनी मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसलिए इसमें कोई सवाल उठाने का औचित्य नहीं है।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, one second. :..(Interruptions)...
My senior colleague, Shri Arun Shourie ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute. ...(Interruptions)... I will give you a chance. ...(Interruptions)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: रघुवंश बाबू, रघु बाबू...(व्यवधान)... सर, रघुवंश बाबू मैथमैटिक्स के बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं, किन्तु जब वह अपनी पूरी बात को जिस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, वह यह बताना चाहते हैं कि वह पढ़े-लिखे नहीं हैं। वह मैथमैटिकस के विद्वान आदमी हैं और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को जब वह अपने भाषण में जोर-जोर से बोलते हैं कि इस ऐक्ट को पास करने के बाद बेरोज़गारों के लिए यह किया गया, तो वह गलत बात बोलते हैं। यह स्कीम तो पहले से ही चल रही थी, उसी स्कीम को आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ...(व्यवधान)... आप इसे स्वीकार करिए, तभी आपने यह बात कही कि यह योजना तीस वर्षों से चल रही थी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह करोड़ो गरीबों का सवाल है और करोड़ों गरीबों की बात क्या कमज़ोरी से या धीरे से कही जाएगी, इसीलिए हम जोर से कहते हैं क्योंकि यह करोड़ों गरीबों का सवाल है।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is only an extension. ...(Interruptions)...
One minute. ...(Interruptions)... It is only an extension. ...(Interruptions)...
There was a discussion that it should be passed without dicussion so that other business can be taken up. ...(Interruptions)... If the House is willing, we can pass it without discussion. ...(Interruptions)... I have no objection. ...(Interruptions)... I am just bringing it to the notice of the House. ...(Interruptions)...

SHRI SURESH BHARDWAJ (Himachal Pradesh): sir, each Member can speak for two minutes:

उपसभापित महोदय, धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को बेरोज़गार देने के विषय में जो कानून पिछले वर्ष हमने पास किया था, हमारें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर महोदय के द्वारा उसे एक कानूनी जामा पहनाया गया था। उस वक्त उसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था, वास्तव में यही हमारा दुर्भाग्य है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसी संसद ने प्रस्ताव द्वारा यह पारित किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसके बावजूद भी हिन्दुस्तान का कोई कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता हैं। और इस विषय में जो यहां पर प्रश्न उग्नया गया था कि जम्मू कश्मीर में जब पहली बार हमने यह कानून पास किया तो उसे एक्सटेंड जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया गया था, जैसा कि सभी कानूनों में किया जाता है। उसके पश्चात अब यह कानून यहां पर उस प्रदेश में भी लागू करने के लिए आया है। लेकिन जो पूछा गया है कि क्या वह जम्मू कश्मीर की विधान सभा द्वारा रिजोल्यूशन पास करके यह मांग की गई हैं अथवा हिन्दुस्तान की सरकार इस बिल को बिना उनके द्वारा मांगे जाने पर इस बिल को वहां एक्सटेंड कर रही है, उसके पीछे कारण क्या है? माननीय मंत्री महोदय जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और रूरल डवलपमेंट के विषय में बहुत अधिक जानकारी भी रखते हैं, वे इस विषय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं, वास्तव में आज जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है वहां पर उसी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, इस बात के दो मत नहीं हो सकते।

श्री उपसभापति: आप जम्मू-कश्मीर नहीं एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम पर भी बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज: मैं उसके ऊपर ही बोल रहा हूं, इस बात से कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सारे देश के विभिन्न स्थानों पर इनसरजेंसी की प्रोब्लम है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप विषय पर ही बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज: मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर में आज स्थिति है वहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और अभी हाल में ही वहां के बहुत बड़े नेता द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए और वहां लश्करे-तैय्यबा ने अपने बैनर और पोस्टर लगाए और उसमें वहां भारत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इसी प्रकार की घटनाएं वह हमारे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। वहां पर हिन्दुस्तान की सभी स्कीमें लागू होती हैं वहां पर हिन्दुस्तान से प्लान का पैसा जाता है, हिन्दुस्तान की विशेष रूप से जो रूरल डवलपमेंट की स्कीम है वह सारे हिन्दुस्तान में लागू होती है और वहां से जो रिपोर्ट आती है कि अधिकांश आतंकवादी संगठन चाहे वहां के राजनीतिक दल हों या राजनीतिक नेता हों या ब्यूरोक्रेसी हो उसमें वह जो धन है, वह वहां चला जाता हे जिस काम के लिए, जिस परपज के लिए वह धन दिया जाता है चाहे वह एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत हो, या

पी॰एम॰जी॰वाई॰ के अंतर्गत हां या किसी दूसरी स्कीम के अन्तर्गत हो इस प्रकार से वहां पर पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसी स्थित कहीं जम्मू-कश्मीर में भी न हो, जो हम पैसा एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत भेजेंगे उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसके रिव्यू के लिए तथा ठीक प्रकार से वहां पर खर्चा हो उसके लिए आप क्या मैकेनिज्म या मॉनिटरिंग व्यवस्था या रिव्यू की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने इस बिल में अथवा जो ऑरिजनल बिल है, उसमें कर रखी है या आगे के लिए वे इसमें उस प्रकार की मॉनिटरिंग की व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे?

दूसरी बात, यह बिल सारे देश में लागू हुआ है, लेकिन जो सारी घटानाएं आ रही हैं पिछले वर्ष इसमें 14300 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था, उसमें से 13009 करोड़ रूपया सैंक्शन हुआ है। लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में एक वर्ष में 3.50 करोड़ जॉब कार्ड बन गए लेकिन केवल पैसा 7618 करोड़ यानी पचास परसेंट ही खर्च हुआ है। पूरे देश में जॉब कार्ड बन रहे हैं और यहां तक कि ऐसी घटनाएं आंध्र प्रदेश के दो जिले हैं- करीमनगर और चित्र, क्योंकि बेसिकली इस ऐक्ट में प्रोविजन है कि यह पुअरेस्ट ऑफ दि पुअर को पहले इसमें जॉब गारंटी दी जाएगी और इन दोनों जिलों की करीमनगर जिले की जो पोपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे की है वह 7.9 परसेंट है और चितूर की 36.1 परसेंट है। लेकिन जो जॉब कार्ड बन गए हैं वे 64 परसेंट से अधिक के बन गए हैं। इसके पीछे क्या कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था है जिसमें स्टेट लेविल की कौंसिल बनाई है या डिस्टिक्ट लेविल की कौंसिल बनाई है उसमें ब्यूरोक्रेसी में लोगों को रखा गया है, उसमें मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही हं आज तक जितनी स्कीम जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं यहां से एक रुपया भेजता हूं तो पन्द्रह पैसा नीचे पहुंचते हैं। आज इन स्कीमों में भी जो आज पैसा जा रहा है वह स्टेट गवर्नमेंट से नीचे पंचायतों तक जिसे प्रकार से जा रहा है और पंचायतों में जो आज व्यवस्था है डवलमेंट ब्लॉक्स बने हैं, उनमें जुनियर इंजीनियर लगाए जाते हैं, ब्लॉक डवलपमेंट आफिसर लगाए जाते हैं, तब तक चैक पास होकर के वह पंचायत के पास नहीं जाता जब तक उनको नकद कमीशन नहीं मिल जाती है और उसके बाद पंचायतों में भी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि वह आगे जिनको चैक पकड़ाते हैं उनको जब तक 10 प्रतिशत की कमीशन नहीं दे दी जाती है तब तक वह पैसा नहीं जाता है। जिसका अर्थ है कि इसमें जो 100 दिन की जॉब गांरटी की गई है और उसमें उनको पैसा मिलेगा नौकरी के हिसाब से वह पूरा पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है।

इसके कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। केरल में एक महिला जो क्वैरी में काम करती है, उसमें उसको डेली पैसा मिलता है, इसलिए वह अपना खर्चा चला सकती है, अपना ऋण दे सकती है, अपने बच्चों की पढ़ाई या दुध की व्यवस्था कर सकती है। जॉब गारंटी स्कीम के तहत उसको जो चेक मिलता है, वह 15 दिन के बाद मिलता है और वह 15 दिन तक क्या करेगी? यह बहुत अच्छी स्कीम है, स्टैंडिंग कमेटी ने पूरा ध्यान देकर इसकी रिपोर्ट

बनाई और इसको माननीय मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया। हमको और पूरे देश को इनकी इंटेंशन पर कोई शक नहीं है, मंत्री जी इसको अच्छी प्रकार से पूरे देश में लागू कर रहे हैं। बार-बार गरीबी हटाने की बात की जाती है, लेकिन क्या वास्तव में गरीबी हट रही है। वर्ष 1971 से आप गरीबी हटाओं का नारा लगा रहे हैं.. (समय की घंटी).. आज भी बिलो पावर्टी लाइन में लोग आ रहे हैं. इसके बारे में न तो इस कानून में कोई व्यवस्था की गई है, न पहले कानून में काई व्यवस्था की गई थीं परे देश में आपकी स्कीम चल रही है. उसमें जो करप्शन के ऐलीगेशन लग रहे हैं या अन्य प्रकार की धांधलियों की बात हो रही है, लोगों को ठीक प्रकार से इसमें पैसा नहीं मिल पर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जब तक आप प्रोपर व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। जम्म-कश्मीर जैसे प्रांत में यह स्कीम लागू होनी चाहिए, लेकिन उनको इसके लिए पहले पैसा दे दिया और लागू अब कर रहे हैं, वह पैसा किस हैड से, कैसे, किस कानून के अंतर्गत दिया है. इसका जवाब भी मंत्री जी यहां पर दे दें, तो अच्छा रहेगा। जम्मू-कश्मीर के लिए हमेशा ऐसी स्कीमों की व्यवस्था की जाए, इसलिए हमारा कहना यह भी है कि जो धारा 370 है, उसका हटा देना चाहिए। जम्म-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और हमारे देश के अभिन्न अंग में जॉब गारंटी स्कीम जैसा कानून भी लाग करने के लिए एक साल बाद कानून लाना पड़े, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे और मैं इस बिल का समर्थन करता हं।

SHR! PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I want to speak.

उपसभापति: क्या आप बोलना चाहते हैं?

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I would be very brief.

श्री उपसभापित: मैंने तो पहले ही कहा है कि इसमें खाली एक्सटेंशन है। अभी स्पेशल मेंशन लेने हैं। I seek the cooperation of all. Why I am saying this is because that was the decision taken.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir. I have got only two-three points which I want to bring to the notice of the hon. Minister.

श्री उपसभापति: बोलिए।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: In fact, I am in support of the Bill. The Bill has already been passed by Lok Sabha and it is for the extension of an Act which is already passed, passed after total deliberation. But I want to reply to the argument on Article ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no reply. You need not reply to it. ... (Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I must; I must. ... (Interruptions)...

MR DEPUTY CHAIRMAN: No; no; you need not reply. ... (Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, the point is raised. ... (Interruptions)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: (उड़ीसा) सर, इसका रिप्लाई तो मंत्री जी देंगे। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; ... (Interruptions) ... मिनिस्टर रिप्लाई देंगे, आप रिप्लाई क्यों देंगे। (व्यवधान)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, let me ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति: देखिए, राष्ट्रपाल जी, you are saying that you want to reply. What does it mean?

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, you should appreciate it. They were ruling this country for seven years. They have not removed Aricle 370, and today they are arguing on the same article. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the point. ...(Interruptions)...
This is not the subject of discussion. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, the previous speaker spoke about it. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: आप इस बिल में क्यों कंट्रोंवर्सी लाना चाहते हो? आप इसको छोड़िए। ...(व्यवधान)

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: The previous speaker has spoken on that point. ...(Interruptions)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर, इनका डबल स्टैंडर्ड है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: लोक सभा ने बिल क्यों पास किया? ...(व्यवधान)... Why are they ...(Interruptions)...

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal) : Sir, I would also like to say something.

श्री उपसभापति: अब आप बोलिए।

SHRI MOINUL HASSAN. Sir, I rise in support of the Bill. I would like to speak just about the financial allocation....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will not take one minute.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, I would like to raise only one or two questions. I will speak only for two-three minutes. Sir, as far as the financial allocation is concerned, when the number of district covered was 200—here in the Bill, it is mentioned 197 and it is extended up to 330 districts throughout the country—the allocation was Rs. 11,300 crores. Sir, now, when another 130 more districted are covered under this Programme, the allocation is increased by only Rs. 700 crores. So, in terms of providing some more funds, the allocation has increased, but in real term, it is decreased. How is it possible to cover all the distrcits, so far as the financial allocation is concerned?

My question is this: In real terms, why is the financial allocation reducing? And, when the financial allocation is reducing, how is it possible to cover the entire nation under this scheme. That is my first question.

My second point, which I had raised even earlier when a full-fledged discussion had taken place in this august House, is this. There is only earthwork in the rural areas. I would like to suggest that this may be extended to rural development, to building up artisan sheds, getting pucca roads, rural hatt and irrigation projects as well. It would cover the rural population throughout the country.

The third point relates to my State of West Bengal. In West Bengal, already 17 districts except Kolkata have been covered under this scheme. Only one, the district of Howrah, has been kept out of the purview of the scheme. That should be included in the scheme. There is a large part of rural India in this industrial district of my State.

These are the three points which I would like the hon. Minister to consider.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): उपसभापित महोदय, मैं एक बात इस संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: मंडल जी, जो नाम पहले आ गए थे, केवल उन्हें समय दिया गया है। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support the Bill.

Sir, we have discussed this issue during the last sitting. This scheme was implemented in 200 districts in the initial stage; it has already completed one year in those areas. Our experience in the field shows that there are a lot of problems with field assistants. They are not being paid properly. When a person who is a full-time worker in the field is not paid properly, he may be tempted to enter into corruption or diversion of funds. Please look into this aspect. Otherwise, they will have their own share out of the kitty. I would request the hon. Minister to throw some light over this aspect.

Secondly, since it is only wage employment, I would like to request the hon. Minister to explore the possibility of having asset creation also. Otherwise, there will not be anything when the audit party comes or a social audit takes places; there would be nothing available on the field. Only some jungle clearings and other things would be there and the money would have been swallowed. There are a lot of such instances. I don't want to take much time, but in one instance, an individual had drawn Rs. 70,000 in his name. This was in the district of Anantpur, where the scheme was launched by the hon. Prime Minister. In that village, Rs. 70,000 was paid in the name of a single person. There are a lot of problems in the field. I would request the hon. Minister to examine the records, social audit reports, etc. In certain places, people were not allowed to enter the village for social audit; they were locked up in the room. You are going to extend this scheme to other parts of the country. Please, go into the details of our experience in the field. Otherwise, this scheme is going to be a waste, and shall remain only on paper. The earlier schemes of NREGP, the National Rural Employment Guarantee Programme, RLEGP, Rural Landless Employment Guarantee Programme, NREP, EAS, all these schemes have together been renamed as the National Rural Employment Guarantee Act; it is nothing new. The only new addition is corruption. Please look into this aspect.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy. You have only half a minute.

DR. K. MALAISAMY (Andhra Pradesh): Sir, I give my full assurance that I shall not take more than a minute.

Sir, from what our friends have been saying and what we have been given to understand, the position of Jamamu & Kashmir is very much clear, in the sense that in terms of law and order, internal security, terrorism and other activity, the State is almost in turmoil. People are very much afraid of moving out. In such a situation, whether it is a welcome move, to extend the same Act to other parts of the country along with Jammu & Kashmir. While I appreciate the move, I am very much concerned about whether it would be well implemented. The idea is very good, but will there be action on the ground? That is my point. In other parts of the country, the scheme has been in existence for several years. We are able to see, in many places, that during the time of their implemenation in the name of giving employment to people huge machinery have been imported and they do the job. But it is not done by manpower or human labour, on the other hand, it is done by machinery. Sir, to be honest with you, records are prepared in such a way that this much of work has been done by so many people. This is what happening in other parts of the country ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute is over ...(Interruptions)... Please complete ...(Interruptions)...

DR. K. MALAISAMY: If that be the case, while implementing it in Jammu & Kashmir, targets will be given to officials and it will be on paper. If people are not responding, then it will be very difficult and scheme will be misused. So, what I am trying to ask the Minister is: Have you taken care of the situation in which Kashmir is placed? Is there a congenial atmosphere through which you can certainly implement it? What safeguard have you taken to see that the scheme is well implemented?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय सबसे पहले तो जिन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए, यह खुशी का विषय है, इस सदन को सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि उग्रवादी चाहे किसी किस्म के हों, आतंकवादी, उग्रवादी extremists, जो कोई भी हों, वे इस स्कीम को नहीं रोकते, इसमें गड़बड़ी नहीं करते और पंचायती राज के मार्फत यह लागू है, जहां contractor चला जाता है और कोई सरकारी आदमी चला जाता है। उसमें वे लोग तसील-उसूल, मार-काट, उत्पात सब करते हैं। झारखंड से रिपोर्ट है, छत्तीसगृढ़ से रिपोर्ट है, जम्मू-कश्मीर में, तीन जिलों से शुरु हुआ है, वहां की जो रिपोर्ट है, वह उत्साहजनक है। इसलिए आतंकवाद, उग्रवाद को खत्म करने का यह बड़ा कानून है, इसलिए माननीय सदस्य ने सही ध्यान खींचा है कि आतंकवाद हो या उग्रवाद हो, सारे उग्रवादी, आतंकवादी या जो गैर-कंस्टीटयुशनल काम करने वाले लोग हैं, वे सब इसमें खत्म हो जाएंगे। इस

कानून की ऐसी महिमा है, इसलिए हम यह सभी बताएंगे, माननीय सदस्यों को हम सब सूचना देंगे कि कहां, कैसी रिपोर्ट है? यह पंचायती राज के मार्फत लागू है। जमीन में जो beneficiaries है, यह उनकी निगरानी में है, इसलिए इसमें आतंकवाद, उग्रवाद के खतरे का कोई विषय नहीं हैं।

फिर माननीय सदस्य ने सवाल उठाया साढ़े तीन करोड़ job cards issued का, लेकिन employment demanded दो करोड़ है। बी.ए. पास, एम.ए. पास, सौ-पचास बीघा जमीन वाले, सब लोगों ने अपने नाम लिखा लिए, job card ले लिए, लेकिन जब पता चला कि मिट्टी काटनी है और physical यानी unskilled labour वाला काम है, तब भाग गए। बुझाया कि बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा. काम नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी भत्ता ही मिलेगा या हाजिरी बनाने से कहीं मिल जाएगा, तो इसीलिए जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने नाम लिखाए और job card ले लिए, काम पर उतने नहीं आए। काम के लिए अलग से पिटीशन देनी होगी और उसकी रिसीविंग ्दी जाती है। उसके पंद्रह दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा, तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए employment demanded लगभग दो करोड़, employment given लगभग दो करोड और यह ठीक बात है कि job cards issued साढ़े तीन करोड़ हैं। मध्य प्रदेश में हरेक. A to Z. सभी परिवारों में job cards बांट दिए। कलेक्टर के घर में, सपरिटेंडेट इंजीनियर के घर में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के घर में job card पहुंचे। हमने राज्य सरकार से पूछा कि आपने कानून का उल्लंघन क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमने इसलिए किया कि कोई यह न कहे कि हमको job card नहीं मिला। अब उसके बाद काम मांगेगा, तो मांगेगा, और नहीं तो job card तो बन गया है। उन्होंने कबूल किया कि यह गलत हुआ, लेकिन उन्होंने reasoning दी, तो इसीलिए job cards issued ज्यादा हैं और काम मांग कम है, लेकिन काम मांग जितनी है, उतने लोगों को रोजगार दिया गया, काम दिया गया, इसलिए उनका सवाल इससे हल हो जाता है।

महोदय, यहां से एक माननीय सदस्य ने सवाल उठा दिया कि इसमें बजट प्रोविजन कम है—11-12 हज़ार करोड़। महोदय, यह उच्च सदन है और लोगों को हमें समझाना पड़ता है। यह demand driven programme है, तो बजट नाम-मात्र का है, 12 हजार करोड़ या 16 हजार करोड़। इसमें अगर 20 हजार करोड़ या 30 हजार करोड़ का खर्चा होगा, ज्यादा मांग होगी, तो फाइनेंस विभाग,योजना आयोग, प्रधान मंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी,सभी से हमने कहा कि बहुत कम लगता है, तो कहा गया था कि demand driven है, जितना खर्चा करिएगा, उतना हम देंगे। इसिलए इस बजट में उतना देखकर यह नहीं मानना चाहिए कि पैसे कहां से आएंगे? देश का काम जिस खजाने से चलता है, उस खज़ाने में गरीब का हिस्सा भी है। इसिलए डिमांड विभिन्न होने की वजह से बजट में क्या है, क्या नहीं है, उस पर अहमियत नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए, बीच में फिर खड़े हो रहे हैं।...(व्यवधान)...

SHRI MOINUL HASSAN: Then, what is the need of the Budget, Sir? There is no need of the Budget at all.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उसमें भी 12 हजार करोड़ हैं, तो फिर किस के लिए ऐतराज है। ठीक बात है, बजट में नहीं करेंगे, लेकिन तत्काल हमको यदि काम करना है तो बजट में न होने के कारण कैसे काम होगा? ... (व्यवधान)... जो सप्लीमेंटरी है और जो सबकी डिमांड है, उसमें यह है कि आप इतना खर्च करिए, आपको और दिया जाएगा। यदि हम जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर जो डिमांड होगी, वह आपको और मिलेगी। ये कहते हैं कि बजट में प्रावधान है, फिर आप ऐतराज कर रहे हैं। यदि बजट में कोई प्रावधान नहीं होता, तब आप क्या करते? इसीलिए इसमें बात साफ है। ये फिर कछ कामों के बारे में कहते हैं। यह वेज एम्प्लाइमेंट प्रोग्राम है। इसमें 60 परसेंट मजद्री पर खर्च करना है, चूंकि कामगार और एडिशनल, इसमें हमारा सेकेंडरी है। परमानेन्ट एसेट्स का सवाल भी उठाया गया है। महोदय, परमानेन्ट ऐसेट बन रहा है। आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने भी सवाल उठाया है कि परमानेंट ऐसेट, उसमें सात लाख योजनाएं बनी हैं और हम स्टेट वाइज सदन को बताएंगे कि क्या काम हुआ है और काम नहीं हुआ है। इसके बाद अब कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है। अभी तक वहां जितना भी वेज एम्लॉइमेंट है, हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम है, फुड फॉर वर्क प्रोग्राम है, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम है, रूरल लैंडलैस एम्प्लॉइमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जवाहर रोजगार योजना,एम्प्लॉइमेंट एश्यारेंस स्कीम है। ये जितनी भी योजनाएं चली हैं, किन्हीं राज्यों में इनमें कहीं न्यूनतम किमयां या त्रृटियां हो सकती हैं, लेकिन महोदय, अनजाम पर दिल्ली में बोलना, मैं सदस्यों से सरजमीं पर प्रार्थना करता हूं कि हमें एक भी स्पेसिफिक प्रोग्राम बताएं जिसमें यह हो रहा हो। उन्होंने जो सवाल उठाया है, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उस पंचायत का क्या नाम है और एक आदमी 1700 हजार रुपया कैसे ले लेगा? वह नहीं ले सकता है। महोदय, यह प्रैक्टिकल नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, last time I gave the name of the village and the persons.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give the name.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यदि कोई स्पेसिफिक होगा तो हम तुरन्त उसकी छानबीन करेंगे। महोदय, ऑन लाइन मॉनिटरिंग में कुछ राज्य अवश्य आगे आ गए हैं, कुछ राज्यों और कुछ जिलों में यह नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में वहां भी हो जाएगा। हमारी वेब साइट पर मस्टर रोल की फोटो कापी रहेगी। सोशल आडिट में एक प्रतिशत की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। वक्ती तौर पर, शुरुआत में जो पुरानी बीमारियां थीं, मैं कुबूल करता हूं कि जहां-तहां कुछ हो सकती हैं, लेकिन इसमें ऐसे कड़े प्रावधान हैं कि इसमें एक पैसे की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। यहां दिल्ली में बैठी एक एन्टी रूउल एन्टी पूअर लॉबी हैं ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उन्होंने जिन दो डिस्ट्रिक्ट्स करीम नगर और चित्तूर का नाम लिया है, वहां पर साढ़े सात परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 36 परसेंट रहते हैं और वहां पर 64 परसेंट कार्ड बन गए हैं।...(व्यवधान)...आप कैसे उसको चैलेंज करते हैं?

श्री उपसभापति: उन्होंने बताया है कि वहां कार्ड क्यों ज्यादा बने हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने बताया है, हमने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया है और हमने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि इस भय से कहा है कि कोई यह न कहे कि हमको जॉब कार्ड देने में pick and choose हुआ है, इसलिए हमने सबको बांट दिया। जो काम करेंगे, उन्हों को काम मिलेगा, लेकिन जॉब कार्ड बांटने में लोगों ने उदारता बरती है। यहां से यह कह देना कि गांव में जो पैसे जाते हैं, लोगों ने हेराफेरी को याद रखा हुआ है कि राजीव गांधी जी ने कहा था। दिल्ली में एंटी रूरल और एंटी पूअर लॉबी बहुत है, बिना सोच-समझे गांव में पैसा जाएगा, तो उनके कलेजे मे गुदंगुदी शुरू हो जाती है कि गांव में और गरीब के लिए पैसे क्यों जा रहे हैं। इसलिए गांव के करोड़ों लोगों का सवाल हैं जो छ: लाख गांवों में 74 करोड़ लोग रहते हैं।, उनको रोजगार मिले। देश की सबसे पहली समस्या बेरोजगारी हैं। उसको हल करने के लिए FDI, FDI विभिन्न प्रकार के काम के लिए रखते रहते हैं। उनसे देश की गरीबी नहीं हटेंगी, देश की बेरोजगारी नहीं हटेंगी। बेरोजगारी तब हटेगी, जब गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। वेज एम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम और सैल्फ एम्प्लॉइमेंट, प्रोडक्टिव सैल्फ एम्प्लॉइमेंट प्रोग्राम से जो सैल्फ हैल्फ यूप मूवमेंट है, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा उत्पादित सामानों को देश के बाजारों में बेचने का . . (व्यवधान)... डिमांड का पता लगाकर... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: SEZ बन्द कराइए, बन्द कराइए...(व्यवधान)... किसानों की जमीन लेकर आप टाटा को दे रहें हैं।...(व्यवधान)...आप उसका समर्थन कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इसमें सभी गरीबों का सवाल है। उनको स्वयं मजबूत होना चाहिए। जो करोड़ों लोग गांवों में रहते हैं, इस सदन में उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनके मामले पर विचार-विमर्श होता है और निर्णय का कार्यान्वयन होता है। वह समय आने वाला है, जब गांवों का विकास होगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, गांव समृद्ध होंग और हिंदुस्तान को 2020 तक दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, यही इसका संदेश और संकल्प है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to provide for the extension of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to the State of Jammu and Kashmir, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

RAJYA SABHA

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं: ''कि इस विधेयक को पारित किया जाये।''

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

Concern Over illegal Transfer of Land allotted to South Eastern Coalfield Ltd. To a Private Company

SHRI MANGANI LAL MANDAL (Bihar): Sir, the South Eastern Coalfield Ltd. Company has acquired 1701.36 hectares of land in the year 1986 under C.B.A. Act for mining activities for Deepak Mines which is now 25 million tonnes project in Korba District of Chhattisgarh. But the Government of Chhattisgarh allotted a land measuring 37.91 acre at village Ratija to M/s MCCPL. This land falls within the leased boundary of the land acquired by SECL which was kept reserved for rehabilitation purpose. Although the project has already rehabilitated 1645 families and provided employment to about 1445 project affected people, the State Government officials have manipulated the lease record of village Ratija and have changed the old Khasra Nos. and allotted new Khasra Nos. But according to the judgement of the Chhattisgarh High Court in a Public Interest Litigation Nos. 1264/03, 4167/03, and 1382/03 dated 19-12-2006, the District Collector or any official have no power under any statute to provide imaginary. Khasra numbers. In spite of that, the Government of Chhattisgarh is trying to give possession of the concerned land to M/s MCCPL. In the meantime, the Civil Court Katgorha has passed orders for the status quo.

My humble submission to the Government of India is its immediate intervention and necessary action in the matter.

Demand to Declare Varanasi A World Heritage Site

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I rise to draw the attention of this House to the serious degradation of one of the oldest living cities of human civilisation, Varanasi. The city is part of our tangible and intangible